

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-436RAAJodhpur2023-184RTA223 Tejaram Vs Smt. Samadadevi etc

तेजाराम पुत्र ताराराम गोदपुत्र माणकराम उर्फ जोरावरसिंह जाति
दर्जी, निवासी- ग्राम झिनझिनयाला, तहसील बालेसर, जिला
जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म



1. श्रीमती समदादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण,
2. रामचन्द्र पुत्र ताराराम
3. मोहनलाल पुत्र ताराराम
4. शिवलाल पुत्र ताराराम
सभी जातियान् दर्जी, निवासीगण- झिनझिनयाला गोविंदा,
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत निम्बों का गांव, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19
सितंबर 2022 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद
संख्या 146/2011 श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र
इत्यादि

उपस्थित-

श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

निर्णय

दिनांक : 06 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या
146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं
प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के
समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 सितंबर
2023 को प्रस्तुत की है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 55 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नं. 56 रकबा 49.19 बीघा एवं खसरा नं. 313 रकबा 3.02 बीघा ग्राम झिनझिनयाला तहसील बालेसर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही एकतरफा करते हुए हस्तगत मामले में बिना कोई तनकीयात कायम किये पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, साक्ष्य-सबूतों का विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है तथा मौके पर अपीलांट 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट के पिता द्वारा अपीलांट की बिना सहमति के वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है जो विधिविरुद्ध है। अपीलांट द्वारा इस बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किये जाने पर अपीलांट की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2022 को खारिज कर दी गई। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें विचारण न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया तथा निगरानी में आगामी पेशी मुकर्रर की गई, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निगरानी के विचाराधीन रहते दिनांक 19.09.2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय एवं अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली पुनः विचारण न्यायालय को प्राप्त होने पर दिनांक 12.09.2023 को नकल हेतु आवेदन कर संपूर्ण पत्रावली की नकल लेने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं की गई है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोंडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक-हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक-हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम को खारिज किया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी की जा चुकी है। अपीलांट द्वारा मात्र रेस्पोंडेंट संख्या एक को परेशान करने के उद्देश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरामायी जावे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।


बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 55 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नं. 56 रकबा 49.19 बीघा एवं खसरा नं. 313 रकबा 3.02 बीघा में वादीनी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/2 हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार बालेसर को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक-हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपने हिस्से के संबंध में उठाये गये उज्र का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को खारिज किया जा चुका है तथा विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय की पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2022 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश विश्णोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-436RAAJodhpur2023-184RTA223 Tejaram Vs Smt. Samadadevi etc
अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट

तेजाराम पुत्र
ताराराम
गोदपुत्र
माणकराम उर्फ
जोरावरसिंह
जाति दर्जी,
निवासी- ग्राम
झिनाझिनयाला,
तहसील
बालेसर, जिला
जोधपुर।



**ब
ना
म**

1. श्रीमती समदादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण,
2. रामचन्द्र पुत्र ताराराम
3. मोहनलाल पुत्र ताराराम
4. शिवलाल पुत्र ताराराम सभी जातियान् दर्जी, निवासीगण- झिनाझिनयाला गोविंदा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत निम्बों का गांव, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 06 फरवरी 2025 बहानरी अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी मिनजानिव अपीलाण्ट, श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुकम हुआ कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।


(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिंग ---00---) रूपये -----00----- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00----- अदा करें।

वसल मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 06 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम			
3. इजराय हुक्मनामा			
4. वकील फीस बाबत मीजान			
		4. मेहनताना वकील मीजान	



(ओमप्रकाश विश्वाडे)
राजस्थान अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर